परिशिष्ट-2

)-A-89 Hindi	आदेश–पत्र (रेव्हेन्यू आर्डर शीट) मामला कमांक 13/अ–74/मूल/2023–2024	
(1)	(2)	(3)
12.09.2023	1.प्रकरण आदेश हेतु लिया गया। 2.वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सा0 रीवा ने कार्यालयीन पत्र कमांक मा. चि./6505 दिनांक 20.07.2023 में लेख किया है कि न्यायालयीन आदेश कमांक 28/अ–19/मूल/2020–21 आदेश दिनांक 19.01.2021 द्वारा ग्राम जनकहाईकला की आराजी नम्बर 831/2 रकवा 25.080 हेक्टेयर भूमि का अंश भाग रकवा 6.132 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गई थी। परिक्षेत्राधिकारी, सिरमौर के पत्र कमांक 855 दिनांक 22.06.2023 एवं उप वनमण्डलाधिकारी रीवा का पृ. पत्र कमांक 2367 दिनांक 06.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित क्षेत्र का आवेदक संस्था एवं पटवारी हल्का तथा ग्रामीणों की उपस्थिति में दिनांक 18.05.2023 को निरीक्षण में पाया गया कि पूर्व से चयनित भूमि गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है। अधिग्रहित की गई भूमि का अधिसूचना प्रस्ताव भारत शासन को प्रेषित किया जाना है। भूमि खसरा नम्बर 831/2 रकवा 6.132 हेक्टेयर में से 3.132 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 765 के अंश रकवा 3.000 हेक्टेयर भूमि का संशोधित आदेश वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3.प्रकरण में प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के मांग अनुसार पाया गया कि न्यायालयीन आदेश कमांक 28/अ–19/मूल/2020–21 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2021 द्वारा जनहित में क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि (वन परिक्षेत्र सिरमौर) का रकवा 6.132 हेक्टेयर के बदले वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को नियमानुसार अंतरित की गई थी जिसके संबंध में आवेदक वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रीवा द्वारा भूमि खसरा 831 रकवा 6.132 हेक्टेयर में 3.132 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण योग्य है तथा शेष रकवा 3.000 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नही है। 4.अतः उपरोक्त तथ्यो एवं वनमंडलाधिकारी वनमण्डल सा0 रीवा के मांग अनुसार न्यायालयीन आदेश दिनांक 19.01.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर अंतरित भूमि में से 3.000 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर आराजी खसरा कमांक 765 अंश रकवा 3.000 हेक्टेयर भूमि म0प्र0 के ज्ञापन कमांक एफ/52/सात/नजूल/92 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2004 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार कमांक–1 की कण्डिका–36 के प्रावधानो के अन्तर्गत तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के (संशोधन) नियम 1992 की धारा 2 के नियम 6(1) के अन्तर्गत एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ–25/36/2005/10–3 भोपाल दिनांक 26 अक्टूबर 2005 अनुसार वन विभाग को अंतरित की जाती है। तहसीलदार तहसील जवा तदानुसार अभिलेख में सुधार कर खसरा/नक्शा की प्रति संबंधित को उपलब्ध करावे। 5.आदेश की प्रति संबंधित को भेजी जावे। 6.प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा0द0 हो। कलेक्टर	

परिशिष्ट -2

न्यायालय कलेक्टर, जिला रीवा (म0प्र0)

प्रकरण कमांक 26/अ–19/मूल/2020–2021

वन मण्डलाधिकारी,
वन मण्डल रीवा (म0प्र0)...आवेदक

बनाम

शासन म0प्र0..अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

आ दे श

(पारित दिनांक 19 जनवरी 2021)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सम्भाग कमांक 1 रीवा के कार्यालयीन पत्र कमांक 3090 /तक./2020–2021 दिनांक 16.10.2020 द्वारा रीवा जिले के अन्तर्गत क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण हेतु वन भूमि के बदले राजस्व भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।

2. तहसीलदार तहसील जवा जिला रीवा से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार तहसील जवा ने न्यायालयीन प्रकरण कमांक 01/अ–19/2020–2021 के प्रतिवेदन दिनांक 15.09.2020 ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 कुल रकवा 25.800 हेक्टेयर में से 6.132 हेक्टेयर रकवा का वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के संयुक्त निरीक्षण उपरांत प्रस्तावित कर अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व अनुभाग त्योंथर को प्रेषित कियां जिसमें अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव 6.132 हेक्टेयर वन भूमि के बदले ग्राम जनकहाई कला पटवारी हल्का जनकहाई की भूमि खसरा कमांक 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर का हस्तांतरण वन भूमि को किये जाने की अनुशंसा किया गया है।

3. वन परिक्षेत्राधिकार सिरमौर के पत्र कमांक 2200 दिनांक 25.11.2020 के अनुरोध पर तहसीलदार जवा के पत्र कमांक 166/प्रवा./2020 जवा दिनांक 21.12.2020 द्वारा वनभूमि के बदले प्रस्तावित राजस्व भूमि को मौके पर चिन्हांकित कर दिया गया है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल ने पत्र कमांक मा.चि./07 रीवा दिनांक 01.01.2021 के द्वारा प्रस्तावित वनभूमि रकवा 6.132 हेक्टेयर के बदले समतुल्य वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त राजस्व भूमि (गैर वनभूमि) को वन विभाग के नाम हस्तान्तरित करने में सहमति दी गई है।

3. उपरोक्तानुसार जनहित में क्योटी जनकहाई मार्ग (पनियारी घाट) निर्माण में पड़ने वाली वनभूमि (वन परिक्षेत्र सिरमौर) का रकवा 6.132 हेक्टेयर के बदले वन विभाग को समतुल्य गैर वन भूमि (राजस्व भूमि) ग्राम जनकहाई कला की आराजी नम्बर 831 रकवा 25.080 हेक्टेयर के अंश रकवा 6.132 हेक्टेयर वन विभाग को म0प्र0 के ज्ञापन कमांक एफ/52/सात/नजूल/ 92 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 2004 एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार कमांक–1 की कण्डिका–36 के प्रावधानो के अन्तर्गत तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के (संशोधन) नियम 1992 की धारा 2 के नियम 6(1) के अन्तर्गत एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ–25/36/2005/10–3 भोपाल दिनांक 26 अक्टूबर 2005 अनुसार वन विभाग को अंतरित की जाती है। तहसीलदार तहसील जवा तद्नुसार अभिलेख में सुधार कर खसरा/नक्शा की प्रति संबंधित को उपलब्ध करावे।

कलेक्टर,
जिला रीवा (म0प्र0)

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम:जनकहाई कला			पटवारी हल्का:जनकहाई कला			तहसील:जवा			जिला:रीवा		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1566391691 82S8P8DEGHQDH0	765/2 (S)		3.0000 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग पता रीवा मध्य प्रदेश शासकीय संस्था	1						न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-74/2023-24, आदेश दि. 12/09/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित । म.प्र.शासन म.प्र. शासन खनिज विभाग और कलेक्टर खनिज शाखा रीवा के आदेशानुसार तहसीलदार जवा के रा.प्र.क्र.26v अ74 /2017-18दि.04/01/2018 के अनुसार रकबा 4.737हे.10वर्ष (2025 तक) के लिये अमित सिंह मे. टमस कान्सटक्शन क. जनता कालेज रोड अनंतपुर रीवा को खनिज लीज स्वीकृत

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है ।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है ।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें ।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें ।

specimen copy

परिशिष्ट -2

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि	
वर्ष: 2023-24	दिनांक: 22-09-2023 12:26:05

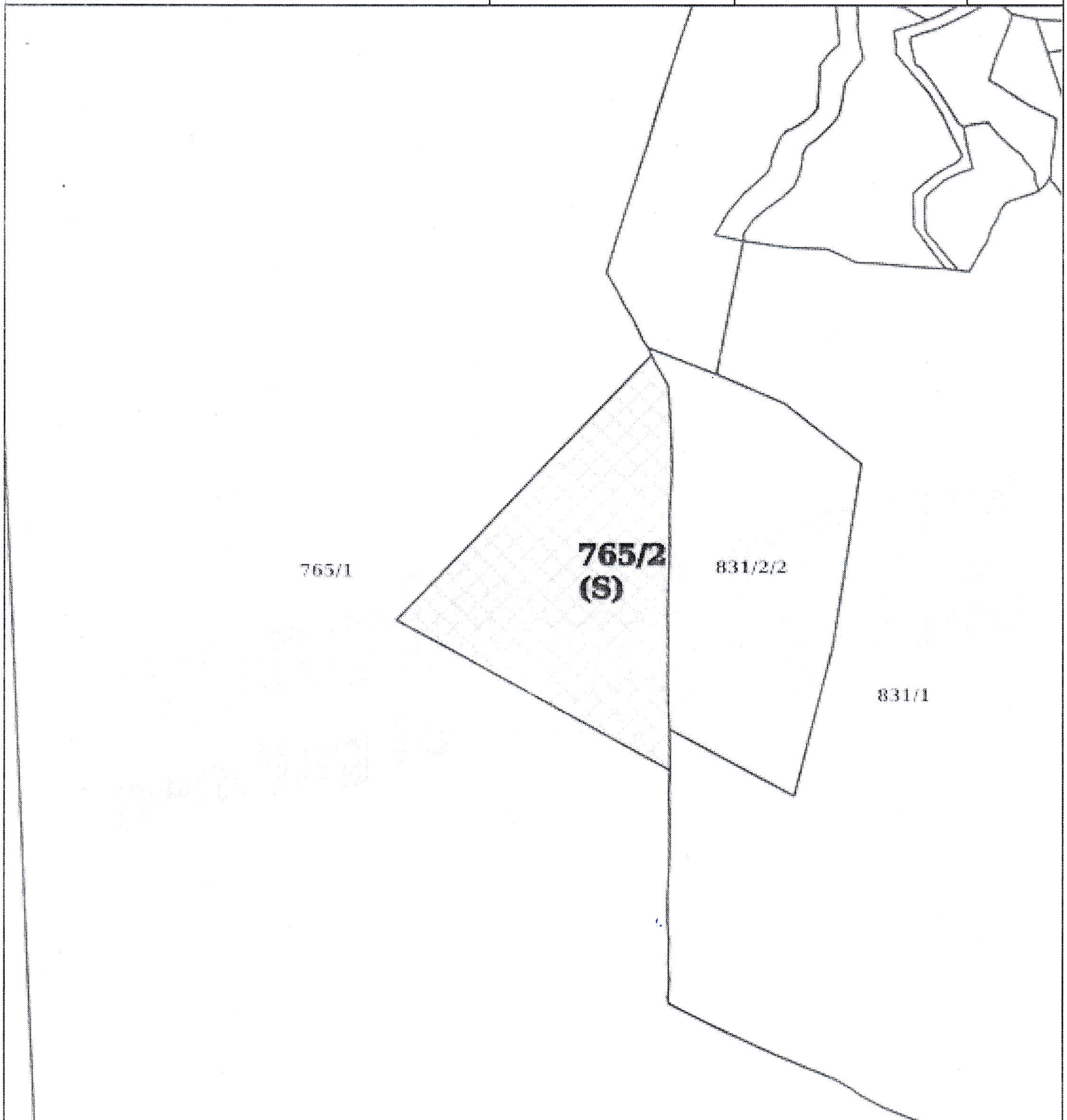

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	जनकहाई कला	जनकहाई कला	जवा	रीवा

सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)
765/2(S)	3.0000(हेक्ट.)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग पता रीवा मध्य प्रदेश शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

specimen copy

ग्राम:जनकहाई कला			पटवारी हल्का:जनकहाई कला			तहसील:जवा			जिला:रीवा		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुषी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1566391713 82S8N0DEGJ7MH0	831/2/2 (S)		3.1320 हेक्टेयर रु.0.00	(शासकीय) वन विभाग पता रीवा मध्य प्रदेश शासकीय संस्था	1						बटवारा प्रकरण क्रमांक 28/अ-19/मूल/2020-21 आ.दि. 30/01/2021 के अनुसार तहसीलदार जवा द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्र. 0013/अ-74/2023-24. आदेश दि. 12/09/2023 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

परिशिष्ट-

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक़्शा की प्रतिलिपि	
वर्ष: 2023-24	दिनांक: 22-09-2023 12:28:27

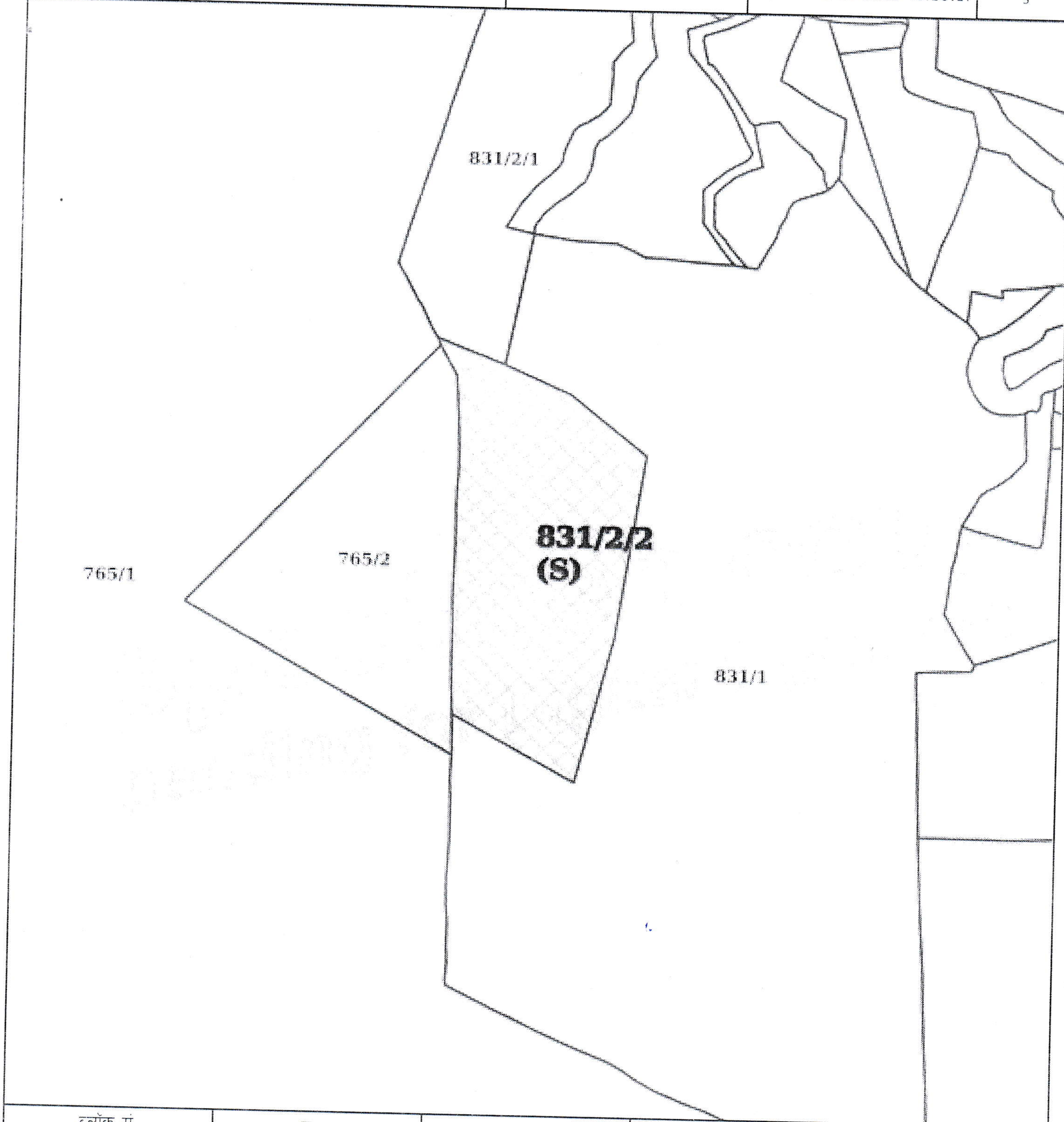

ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	जनकहाई कला	जनकहाई कला	जवा	रीवा
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू.रा.शा	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
831/2/2(S)	3.1320(हेक्ट.)	0	0 20 40 60 80 120 160 200m	

भूस्वामी : (शासकीय) वन विभाग पता रीवा मध्य प्रदेश शासकीय संस्था

(हस्ताक्षर)